23.10.20 वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 जा. दी. का पेश किया। न्यायहित मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को जरिए नोटिस जारी किया गया। वास्ते पत्रावली मे उभयपक्षो की बहस हेतु नियत दिनांक 29.10.20 को पेश हो।

29.10.20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित, उभयपक्षो से बहस करनी चाही, उभयपक्षो की बहस सुनी गयी, बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की ईस्तदुआ की। जब कि पैरोकार सरकार ने जवाबदावा एव साथ ही पैरोकार सरकार ने बयान किया कि वादपत्र एव प्रार्थना पत्र पूर्व दिनांक 11.9.20 को अदम हाजरी / अदम पैरवी मे खारीज होने की स्थिति मे प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण भी हटा दिया गया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया तथा जवाबदावे का अवलोकन किया गया। साक्ष्यो से प्रश्नगत भूमि बिलानाम रिकार्ड दर्ज है जिस पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है ओर नही सुविधा संतुलन अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे साबित होती है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 R.T.A अस्थाई निषेधाज्ञा का खारीज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 R.T.A अस्थाई निषेधाज्ञा का खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला [illegible]

Signature Not Ver[ified]
Digitally signed by Ma[...]
Date: 2020.11.04 14:[...]
Reason: SelfAttested